

तारीख हुकम

18.12.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिटाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैखी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर स्वोरिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

बी.ए.ए.
18/12/24
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

